(3)

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

## (सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

**पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या :– **32/2020 अपील सू.प्र.**

## उनवान

इमरान मो0 काजी पुत्र शफी मो0 काजी निवासी भोमियों की मस्जिद के पास, माण्डल जिला भीलवाडा

––अपीलार्थी

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भीलवाडा

––प्रत्यर्थी

## अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

## निर्णय

दिनांक :18-08-2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 22.07.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 18.06.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भीलवाडा को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 06.08.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भीलवाडा द्वारा पत्रांक/प–/सू.अधि./2020–21/251 दिनांक 11.08.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट अनुसार प्रत्यर्थी कार्यालय के पत्रांक/प./सू.अ./2020–21 दिनांक 09.07.2020 से अपीलार्थी को आवेदन पत्र में लिखे निवास के पते पर सूचना डाक द्वारा प्रेषित की गयी एवं सूचना की एक प्रति व्यक्तिशः अपीलार्थी को दिनांक 16.07.2020 को रसीदन दी गयी।

अतएव अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील अस्वीकार की जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 18-08-.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा